

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या: 06/2020

दायर दिनांक: 20.02.2020

निर्णय दिनांक 25.07.2025

—: अनवान :-

1. अमरसिंह पिता डाउसिंह जी जाति रावत आयु 45 वर्ष निवासी काछबली, तलाई, ग्राम पंचायत काछबली, तहसील भीम, जिला राजसमंद
2. श्रीमती सीतादेवी पत्नि अमरसिंह जी जाति रावत आयु 40 वर्ष निवासी काछबली, तलाई, ग्राम पंचायत काछबली, तहसील भीम, जिला राजसमंद

— निगराकारगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत काछबली, जरिये सरपंच सचिव, ग्राम पंचायत काछबली, तहसील भीम, जिला राजसमंद
2. जशोदा पत्नि लक्ष्मणसिंह जी जाति रावत आयु वयस्क निवासी तलाई, काछबली, ग्राम पंचायत काछबली, तहसील भीम, जिला राजसमंद

— गैर निगराकारगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरुद्ध आदेश अधिनस्थ ग्राम पंचायत काछबली जिसके द्वारा दिनांक 26.08.2019 को विक्रय मंजूर कर गैरनिगरानीकार को पुस्तक संख्या 1 से पट्टा कमांक 58 जारी किया गया, को निरस्त कराने बाबत।

उपस्थित:-

- 1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
- 2— श्री, अब्दुल हकीम चुडीघर अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01
- 3— अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02 अनुपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 58 पुस्तक संख्या 01 दिनांक 26.08.2019 को ग्राम पंचायत काछबली द्वारा जारी पट्टे से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत काछबली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में आवासीय भूखण्ड का पट्टा 2025 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिसके पडौस पूर्व में पंचायत की आबादी भूमि, नाप 45 फीट, पश्चिम में



(Handwritten signature)

पंचायत की आबादी भूमि नाप 45 फीट उत्तर में आम रास्ता नाप 45 फीट एवं दक्षिण में सुन्दर देवी का मकान नाप 45 फीट है। उक्त पडौसो के मध्य के भुखण्ड का पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत दिनांक 26.08.2019 को निःशुल्क जारी किया गया है। उक्त जारी किया गया पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमो की पालना किये बगैर ही जारी कर दिया गया है। पट्टा जारी करने के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं उसके तहत बनाये गये नियमो की पालना उक्त मामले में नहीं की गई है। इसलिए उक्त पट्टे को निरस्त कराना आवश्यक है। इस हेतु यह निगरानी याचिका इन आधारो पर प्रस्तुत है कि ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं है। अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट आबादी होने बाबत् प्राप्त नहीं की गई है। पट्टे में भी उक्त भूमि किस आराजी में स्थित है इसका भी उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा न केवल विधि के विपरित है बल्कि ग्राम पंचायत को निजी व बिलानाम भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं है। उक्त पट्टा जारी करने से पहले ग्राम पंचायत ने विधि के तहत निर्धारित की गई प्रकिया की पालना ही नहीं की है। प्रकिया अपनाये बिना पट्टा जारी कर दिया है। अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियम 157 के तहत पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है। जशोदा देवी की शादी लक्ष्मणसिंह के साथ अभी हाल ही में चार पाँच वर्ष पूर्व ही हुई थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर 25 वर्ष पुराना कब्जा होना एवं उस पर मकान बना होना कतई सम्भव नहीं है और मौके पर न तो पुराना मकान बना हुआ है न ही अप्रार्थी संख्या दो का 25 साल पुराना कब्जा है। नियम 157 के तहत पुराने कब्जे की प्रमाणिकता पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है और अप्रार्थी संख्या दो का इस भूमि पर 25 वर्ष पुराना कब्जा होना एवं इस पर मकान बना हुआ होना सम्भव नहीं है। क्योंकि उक्त अप्रार्थी संख्या दो की उम्र ही पट्टे में 31 वर्ष लिखी हुई है और वह भी लक्ष्मणसिंह की पत्नि है तो उसका इस भूमि पर 25 वर्ष पुराना कब्जा होना सम्भव नहीं है। लक्ष्मणसिंह स्वयं जीवित है और उसकी माता भी जीवित है तो अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा होना किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं होता है। ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि को निलाम किये बगैर ही विक्रय का पट्टा जारी करने से बचने के लिए नियम 157 के तहत यह पट्टा जारी किया गया है जो स्पष्ट रूप से नियमो के विपरित है। उक्त पट्टे के पडौस में दक्षिण दिक्षा में सुन्दरबाई का मकान दर्शाया गया है जो सुन्दरबाई स्वयं अप्रार्थी संख्या दो के पति लक्ष्मणसिंह की माता है। सुन्दरबाई अप्रार्थी संख्या दो व उसका पति लक्ष्मणसिंह सभी साथ रहते हैं और जिस मकान में वे रहते हैं उसका पट्टा सुन्दरबाई के नाम पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर रखा है। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियमो की विपरित जारी किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी निगराकार का ही कब्जा आधिपत्य है। प्रार्थी ने उक्त भूमि श्रीमती कंकूदेवी पत्नि रामसिंह रावत से क्रय की थी तथा इस बाबत् ईकरार नामा दिनांक 03.07.2018 को निष्पादित किया था तथा इससे पूर्व दिनांक 16.11.2017 को भी ईकरार नामा निष्पादित किया था। जिसमें कंकूदेवी का पुराना मकान बाडा सहित प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.08.2016 को क्रय किया था तथा इस मकान के साथ ही प्रार्थी संख्या दो के नाम पर कंकूदेवी व मंगलसिंह के हिस्से की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से प्रार्थी संख्या दो ने क्रय की थी। उक्त कृषि भूमियों एवं कंकूदेवी का मकान बाडा आदि प्रार्थीगण द्वारा क्रय किया था तथा इसके संबंध में प्रार्थी व कंकूदेवी के मध्य इस भुखण्ड को लेकर अप्रार्थी संख्या दो के परिवार वालो ने विवाद दर्ज करवाया था जिसके संबंध में न्यायालय वरिष्ठ सिविल



Jan

न्यायाधीश भीम में प्रकरण संख्या 04/2018 ई दी अमरसिंह बनाम कंकुदेवी के रूप में वाद विचाराधीन रहा तथा न्यायालय द्वारा कंकुदेवी द्वारा विक्रय क्रिये गये भुखण्ड व डिक्री दिनांक 03.07.2018 को प्रदान की थी। इससे यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भुखण्ड प्रार्थीगण के स्वामित्व का है जो 100 X 77 वर्गफीट कुलिया 7700 वर्गफीट के रूप में स्थित है। उक्त भुखण्ड के संबंध में न्यायालय का निर्णय होते हुए भी उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी कर दिया है जो विधि के विपरित है। यहाँ तक कि पट्टे में पडौस भी गलत अंकित किये गये है। उक्त पट्टेशुदा भूमि अप्रार्थी संख्या दो की कभी नहीं रहा है इस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थीगण का इस पर पुराना मकान बना हुआ है जो प्रार्थीगण ने कंकुदेवी से क्रय किया है जिसके साथ ही कंकुदेवी की खातेदारी भूमि भी प्रार्थीगण द्वारा क्रय की थी। कंकुदेवी अप्रार्थी संख्या दो के पति की बड़ी माता है एवं सुन्दरबाई की के पति भँवरसिंह के बड़े भाई की पत्नि है और ये सारी कार्यवाही कंकुबाई से प्रार्थीगण द्वारा उसके हिस्से की जमीन व मकान खरीदने के कारण द्वेषतापूर्वक प्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से की गई है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पंचायत की बहुमूल्य भूमि बिना किसी विक्रय मूल्य के आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति को निःशुल्क आवंटित कर दी जबकि पंचायत में ऐसे प्रावधान नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत काछबली द्वारा दिनांक 26.08.2019 को विक्रय मंजूर कर गैर निगरानीकार को पुस्तक संख्या 1 से पट्टा कमांक 58 जारी किया गया को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हकीम चुडीघर द्वारा उपस्थिति होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

गैर निगराकार संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया है। कानून में पति व पत्नि को एक माना है जिस कारण औरत के ससुराल की पैतृक सम्पत्ति पर पति के समान ही पत्नि का अधिकार होता है एवं उसी अधिकार के कानून से गाम पंचायत ने कार्यवाही कर प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया है पंचायत ने विधिवत् कार्यवाही की है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सब्यय खारिज फरमाई जावे।

विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार भीम से मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार भीम ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजस्व ग्राम तलाई पटवार हल्का काछबली के खसरा नम्बर 2505 रकबा 0.3561 हैक्टेयर किस्म आबादी विकास ग्राम पंचायत काछबली के नाम दर्ज है। मौके अनुसार उक्त खसरा नम्बर में आंशिक आबादी बसी हुई होकर जलदाय विभाग का ऑफिस बना हुआ है। एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किय गए आबादी पट्टे की भूमि वर्तमान में खाली है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत काछबली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में आवासीय भुखण्ड का पट्टा 2025 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिसके पडौस पूर्व में पंचायत की आबादी भूमि, नाप



[Handwritten signature]

45 फीट, पश्चिम में पंचायत की आबादी भूमि नाप 45 फीट उत्तर में आम रास्ता नाप 45 फीट एवं दक्षिण में सुन्दरदेवी का मकान नाप 45 फीट है। उक्त पडौसो के मध्य के भुखण्ड का पट्टा नियम 157 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत दिनांक 26.08.2019 को निःशुल्क जारी किया गया है। उक्त जारी किया गया पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमो की पालना किये बगैर ही जारी कर दिया गया है। पट्टा जारी करने के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं उसके तहत बनाये गये नियमो की पालना उक्त मामले में नहीं की गई है। इसलिए उक्त पट्टे को निरस्त कराना आवश्यक है। ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं है। अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से कोई रिपोर्ट आबादी होने बाबत प्राप्त नहीं की गई है। उक्त पट्टा जारी करने से पहले ग्राम पंचायत ने विधि के तहत निर्धारित की गई प्रकिया की पालना ही नहीं की है। प्रकिया अपनाये बिना पट्टा जारी कर दिया है। अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में नियम 157 के तहत पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है। जशोदादेवी की शादी लक्ष्मणसिंह के साथ अभी हाल ही में चार पाँच वर्ष पूर्व ही हुई थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर 25 वर्ष पुराना कब्जा होना एवं उस पर मकान बना होना कतई सम्भव नहीं है और मौके पर न तो पुराना मकान बना हुआ है न ही अप्रार्थी संख्या दो का 25 साल पुराना कब्जा है। नियम 157 के तहत पुराने कब्जे की प्रमाणिकता पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है और अप्रार्थी संख्या दो का इस भूमि पर 25 वर्ष पुराना कब्जा होना एवं इस पर मकान बना हुआ होना सम्भव नहीं है। क्योंकि उक्त अप्रार्थी संख्या दो की उम्र ही पट्टे में 31 वर्ष लिखी हुई है और वह भी लक्ष्मणसिंह की पत्नि है तो उसका इस भूमि पर 25 वर्ष पुराना कब्जा होना सम्भव नहीं है। ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि को निलाम क्रिये बगैर विक्रय का पट्टा जारी करने से बचने के लिए नियम 157 के तहत यह पट्टा जारी किया गया है जो स्पष्ट रूप से नियमो के विपरित है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी निगराकार का ही कब्जा आधिपत्य है। प्रार्थी ने उक्त भूमि श्रीमती कंकुदेवी पत्नि रामसिंह रावत से क्रय की थी तथा इस बाबत ईकरार नामा दिनांक 03.07.2018 को निष्पादित किया था तथा इससे पूर्व दिनांक 16.11.2017 को भी ईकरार नामा निष्पादित किया था। जिसमें कंकुदेवी का पुराना मकान बाडा सहित प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.08.2016 को क्रय किया था तथा इस मकान के साथ ही प्रार्थी संख्या दो के नाम पर कंकुदेवी व मंगलसिंह के हिस्से की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से प्रार्थी संख्या दो ने क्रय की थी। उक्त कृषि भूमियों एवं कंकुदेवी का मकान बाडा आदि प्रार्थीगण द्वारा क्रय किया था तथा इसके संबंध में प्रार्थी व कंकुदेवी के मध्य इस भुखण्ड को लेकर अप्रार्थी संख्या दो के परिवार वालो ने विवाद करवाया था जिसके संबंध में न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भीम में प्रकरण संख्या 04/2018 ई दी अमरसिंह बनाम कंकुदेवी के रूप में वाद विचाराधीन रहा तथा न्यायालय द्वारा कंकुदेवी द्वारा विक्रय क्रिये गये भुखण्ड व डिक्री दिनांक 03.07.2018 को प्रदान की थी। इससे यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भुखण्ड प्रार्थीगण के स्वामित्व का है जो 100 X 77 वर्गफीट कुलिया 7700 वर्गफीट के रूप में स्थित है। उक्त भुखण्ड के संबंध में न्यायालय का निर्णय होते हुए भी उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी कर दिया है। यहाँ तक कि पट्टे में पडौस भी गलत अंकित किये गये है। उक्त पट्टेशुदा भूमि अप्रार्थी संख्या दो की कभी नहीं रहा है इस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थीगण का इस पर पुराना मकान बना हुआ है जो प्रार्थीगण ने कंकुदेवी से क्रय किया है जिसके साथ ही कंकुदेवी की खातेदारी भूमि भी प्रार्थीगण द्वारा क्रय की थी। कंकुदेवी अप्रार्थी संख्या दो के पति की बडी माता है एवं सुन्दरबाई के पति



deh

भँवरसिंह के बड़े भाई की पत्नि है और ये सारी कार्यवाही कंकूबाई से प्रार्थीगण द्वारा उसके हिस्से की जमीन व मकान खरीदने के कारण द्वेषतापूर्वक प्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से की गई है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पंचायत की बहुमूल्य भूमि बिना किसी विक्रय मूल्य के आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति को निःशुल्क आवंटित कर दी जबकि पंचायत में ऐसे प्रावधान नहीं है। अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत काछबली द्वारा दिनांक 26.08.2019 को विक्रय मंजूर कर गैर निगरानीकार को पुस्तक संख्या 1 से पट्टा क्रमांक 58 जारी किया गया को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने जवाब वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया है। कानून में पति व पत्नि को एक माना है जिस कारण औरत के ससुराल की पैतृक सम्पत्ति पर पति के समान ही पति का अधिकार होता है एवं उसी अधिकार के कानून से गाम पंचायत ने कार्यवाही कर प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया है पंचायत ने विधिवत् कार्यवाही की है।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत काछबली द्वारा श्रीमती जसोदा देवी को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे में पंचायत के संकल्प संख्या 04 दिनांक 26.08.2019 की पालना में उक्त पट्टा जारी करने का उल्लेख है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) में यह प्रावधान है कि **“जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक हैं उन्हें निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2010 व 01.01.2013 के अनुसार आबादी भूमि में पुराने गृहों का पट्टा देने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना एवं पुराने गृह का विद्यमान होना आवश्यक है”** श्रीमती जसोदा देवी के पक्ष में जारी पट्टे संख्या 58 दिनांक 26.08.2019 का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा का राजस्थान पंचायती राज नियमावली 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया एवं प्रकरण में तहसीलदार भीम से वादग्रस्थ स्थल की मौका स्थिति रिपोर्ट तलब की गयी तहसीलदार भीम से प्राप्त रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये आबादी पट्टे में वर्णित भूमि वर्तमान में खाली है। परन्तु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह जो कि 30 वर्ष/50 वर्ष पुराने निर्मित होने पर ही पट्टा जारी किया जाता है। लेकिन आवासीय भूखण्ड होने पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 143 से 155 के मध्य विहित प्रक्रिया यथा कमेठी द्वारा स्थल निरीक्षण, आपत्ति आह्वान, पंचायत की बैठक में विधिवत् प्रस्ताव लेकर ही आवासीय पट्टा जारी करने के प्रावधान हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 तक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रिक्त भूखण्ड को विक्रय करने बाबत विस्तृत प्रावधान दिये गये हैं उक्त प्रावधानों में विहित प्रक्रिया की पालना करने तथा नियम 152 में नियत बाजार कीमत पर खुली निलामी द्वारा विक्रय किये जाने के प्रावधान हैं।




धर

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 में विहित की गई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) की आड में पुराना गृह दर्शा कर रिक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया, जो कि विधि अनुरूप नहीं है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है।


:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत काछबली द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 58 दिनांक 26.08.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत काछबली को भिजवायी जावे।


(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरुण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद